(3)

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 296003

[illegible]

[illegible]

5000 Rs

Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

।। श्री गणेशायनमः ।।

बैनामा

चूँकि [illegible] कनौजिया पुत्र स्व० श्री [illegible] कनौजिया निवासी मकान नम्बर 105 [illegible] कल्याणपुर [illegible] कल्याणपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का हूँ।

[illegible] स्थित [illegible] भूमि आराजी भूमिधरी नम्बरी 1096 रकबा 0.666 हे० व आराजी भूमिधरी संख्या-1097 रकबा 0.041हे० व आराजी भूमिधरी संख्या- 1099 रकबा 0.301 हे० व आराजी भूमिधरी संख्या-1105 रकबा 0.031 हे० कुल चार किता-कुल रकबा 1.045 हे० के 1/2

5000Rs.

5000 FIVE THOUSAND RUPEES

भाग स्थित मौजा सैरी अब्दुलपुर हजारा परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का बतौर मालिक,काबिज व दखील संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भी निज मुकिर का है, तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी है। मिन मुकिर के हिस्से में मिन मुकिर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार अथवा भागीदार नहीं है। मिनमुकिर को उक्त मालकियत विवरण उक्त बेच जाने हेतु तक पूरा भार निष्पक्ष से यही नाम व भाग है। कहीं रहन,बय,हिबा,तुलनामा,बयाना आदि नहीं है तथा किसी डिग्री व सरकारी डिग्री में कुर्क अथवा बकाये

5000 Rs.

5000 Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

नीलाम नहीं है। और भूमि को किसी न्यायालय या नौकरी सरकारी द्वारा उक्त आराजियात को आज दिन तक भी आस्थगित अथवा कुर्क करने से भी रोका नहीं गया है। तथा उक्त आराजियात किसी न्यायालय या नौकरी सरकारी द्वारा आज दिन तक एक्वायर नहीं की गयी है और न ही विक्रेता को एक्वायर करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है तथा विक्रेता की उक्त आराजी बैंक लोन आदि में रहन नहीं है। तथा कोई अन्य इनाम टैक्स या इस टैक्स की उक्त आराजियात की बाबत नहीं है। यह कि उक्त आराजियात आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा बिना भूमि की वास्तव

5000 Rs.

FIVE THOUSAND RUPEES

उपरोक्त [illegible] विक्रय करने हेतु समस्त अधिकार

हासिल है। चूँकि मिन मुकिर को [illegible] शादी

[illegible] व विवाह के लिए मकान बनवाने के लिए

रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है। जो कि बिना बेचे हुए

आराजियात उपरोक्त विक्रय [illegible] मिन मुकिर को दस्तयाब

नहीं हो सकती है। अतः मिन मुकिर ने उक्त आराजियात

तफसील जैल को बेचना मुनासिब मसलहत होने की बाबत

इधर उधर [illegible] आराजी के

[illegible] होने का यकीन [illegible] मिन [illegible]

मुबलिग 3,31,500/- तीन लाख इकत्तीस हजार पाँच सौ रुपये

में महावीर कोआपरेटिव [illegible] सोसाइटी लि०, मुख्य कार्यालय

दिल्ली [illegible] रोड शाहदरा [illegible] जरिये [illegible] श्री [illegible] जैन

पुत्र श्री [illegible] जैन निवासी मकान नम्बर 73 [illegible]

5000Rs

-5-

शहर कानपुर खरीद करने पर तैयार व रज़ामन्द है। कीमत निश्चित उचित व वाजिब है, बाजारी भाव से कम नहीं है। और न इससे ज़्यादा कोई दूसरा कीमत देने को तैयार व रज़ामन्द है। ऐसा निश्चित करके रज़ामन्द व मन्ज़ूर है। लिहाज़ा बहालत सेहत शरीर व दुरुस्त हवास बदुरुस्ती होशो हवास बिला किसी जब्र इकराह के अपनी खुशी व रज़ा व बिना दबाव व बगैर किसी लालच व बहकावा बिला कोई भी किसी चीज के बिला एवज मुबलिग- 3,31,500/-रुपये तीन लाख इकत्तीस हजार पाँच सौ रुपया जिसके कि आधे मुबलिग- 1,65,750/- रुपया एक लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रुपया जिनका निस्फ़ बराबर हिस्सा के होते हैं। बदस्त महावीर जी मार्केटिंग ट्रेडिंग सोसायटी लि० रजि० संख्या- 666 सन 1982 ई० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री एस० के० जैन पुत्र श्री एस० के० जैन निवासी मकान नम्बर 78 आर०एच० [illegible] कार्यालय शहर कानपुर के हक

5000Rs.

5000 Rs. Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

-6-

कोई गवाही यानी बैंक आज तथा कुल कीमत मिल। चूंकि वसीयत के अनुसार विक्रेता ने उक्त खरीदार समिति से प्राप्त कर लिया है। विक्रेता पर अब एक भी पैसा लेना किसी खरीदार समिति के जिम्मे नहीं रह गया है। इस प्रकार विक्रेता ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा से अपना कब्जा व दखल मालिकाना व वारसें सभी पीछे से हटाकर लिखित अपने कब्जा व दखल मालिकाना व भावी जायदाद मुबैया हाजा पर आज की तारीख से खरीदार समिति का करा दिया तथा मालिक,काबिज व दखील करा दिया आज की तारीख से खरीदार समिति जायदाद मुबैया हाजा का एक मात्र मालिक,काबिज व दखील हो गया तथा उसे कुल अधिकार जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत मालिकाना इन्तकाली,वारिसी व अन्य सभी तरह व. आइन्दा के शामिल हो

5000Rs.

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

गये है । अब खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद मुंदर्जा दस्तावेज को जिस प्रकार से चाहे अपने प्रयोग व उपयोग मे लावे । इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर को कोई उजुर व एतराज न होगा । खरीदार समिति को चाहिए कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बतौर मालिक दर्ज करा देवे, तथा [illegible] मुकिर इकरार करता है, जिसकी जानकारी इस [illegible] करना जरूरी होगी । फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देगी और भी जरूरत होगी देने को तैयार रहेगा । जिन मुकिर ने जायदाद मजकूरा के पूर्ण रूप से मालिक व काबिज होने का यकीन व इतमिनान खरीदार समिति को करा दिया है । फिर भी यदि मुकिर के हक पर [illegible] या दूसरा [illegible] आदि की वजह से जायदाद बेचा हवा का कुल या कुछ भाग कब्जा व दखल मुकिर के [illegible] से खरीदार समिति के कब्जा व दखल से निकल जा

5000Rs.

5000 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

-6-

किसी शख्स या दावेदार शामिल को कोई नुकसान मुआवजा हर्जा की निस्बत आज दिन तक भी जायदाद कुछ भी खर्च या हर्ज करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर की होगी और खरीदार मुशतरी को अधिकार होगा कि वह अपना कुल खर्चा, मय हर्जा व खर्चा बिना मुकिर की जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे बजरिये अदालत मुकिर के ऊपर खर्चे पर दावा दायर वसूल पा लेवे । इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर को कोई उजर व एतराज न होगा । लिहाजा शर्तनामा दस्तावेज होने की पाबन्दी मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर पर लाजिम व वाजिब होगी ।

लिहाजा बखुशी होश हवास लिख दिया ताकि

5000Rs.

5000 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

नाबालिग के स्वस्थ मन, बुद्धि, चित्त व होशहवास की स्वस्थ दशा में बिना किसी के बहकाये या बहलाये राजी खुशी से यह बैनामा कब्जा मालिकाना बख्शना लिखकर तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

तफसील जायदाद मुबैया

आराजियात भूमिधरी नम्बरी 1096 एक हजार छियानबे रकबा 0.665 हे0 शुन्य दशमलव छः छः पांच हेक्टेयर व आराजी भूमिधरी नम्बर 1097 एक हजार सत्तानबे रकबा 0.041 हे0 शुन्य दशमलव शुन्य चार एक हे0 व आराजी भूमिधरी नम्बर 1098 एक हजार अट्ठानबे रकबा 0.327 हे0 शुन्य दशमलव तीन दो सात हेक्टेयर व आराजी भूमिधरी नम्बर 1105 एक हजार एक सौ पांच रकबा 0.081 हे0 शुन्य दशमलव शुन्य

60 Rs.

5000Rs.

Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

तीन या हैक्टेयर के एक बटा दो भाग यानी रकबा कुल 1.045 के 1/2 भाग यानी रकबा 0.522 है० यानी रकबा दो बीघा ग्यारह बिस्वा स्थित ग्राम [illegible] बजार मदाना तहसील व जिला जयपुर शहर का विक्रय किया गया है।

भूमि बेचने की आज्ञा श्रीमान् सक्षम अधिकारी महोदय नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय पारवती भवन रोड शहर जयपुर के आदेश पत्र संख्या- 402 द्वारा भूमि दिनांक 25-8-93 ई० को प्राप्त कर ली गयी है। मालियत के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी डी.एल.सी. रेट 2,70,000/- प्रति एकड़ के हिसाब से 3,53000/- रुपया पर इसकी 51050/- रुपया की अदा की गयी है। विक्रेता

50 Rs.
1000 Rs.
Rs. 1000
INDIA NON JUDICIAL
ONE THOUSAND RUPEES

-11-

अनुचित कार्य एवं अनुचित व्यापार का नहीं है।

सम्पत्ति बयनामा की कुल कीमत रु.3,31,500/-अक्षरा तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ मात्र।

मुबलिग 1,50,000/- रुपया हुलिये खरीदार से बजरिये तहरीर दस्तावेज शेरा में हासिल कर चुका है।

मुबलिग 1,81,500/- रुपया बजरिये ड्राफ्ट नम्बर-394819 दिनांक 11-03-93 केनरा बैंक शाखा माल रोड कानपुरनगर एवं श्री... नाम ... कानपुर के प्रेसिडेन्ट ने खरीदार समिति से वसूल पाये। लिहाजा अब एक भी पैसा बाकी जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा।

50 Rs.

FIFTY RUPEES

तहरीर तारीख- 31-3-1998 ई0 ।

गवाह 1-

गवाह 2-

मसौदा मेरे द्वारा ड्राफ्टेड बाद

मेरे कार्यालय में मेरे निर्देशन पर

टाइप किया गया ।

सुबोध कुमार त्रिवेदी, एडवोकेट

कानपुर ।

Subodh Kumar Tri...

Court Compound, K...

[illegible] 11050/

[illegible]

आज दिनांक 16/11/03 को श्री [illegible]

[illegible] संख्या [illegible] खण्ड [illegible]

[illegible] पर का [illegible]

[illegible] किया गया।

उप निबन्धक

कानपुर (नगर)-II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दि० 1-6-09